दिनांक : 11 फरवरी, 2014

श्री प्रणव मुखर्जी
राष्ट्रपति, भारत
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

महामहिम,

विषय : महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए

संदर्भ : आदर्श घोटाला/श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ जांच और उसकी मंजूरी

आदर्श घोटाले में श्री अशोक चव्हण के खिलाफ जांच की मंजूरी के लिए सीबीआई के आवेदन को ठुकराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री के. शंकर नारायणन के तरीके को लेकर हम चिंतित है।

अवलोकन के मुख्य बिन्दु :

- श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकद्दमा चलाने के आवेदन की अस्वीकृति देना।
- मंजूरी के लिए आवेदन को निरस्त करने के लिए कोई उचित संदर्भ नहीं।
- पाटिल आयोग की रिपोर्ट में श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध पर्याप्त सबूत।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि प्रथम दृष्टया मुकद्दमा कहा है।
- आयोग की रिपोर्ट के पैरा 69 और उसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा है कि श्री अशोक चव्हाण द्वारा प्रतिदान किया गया।
- आयोग की रिपोर्ट पैरा 79 में पैनल एक्शन की सिफारिश की गई है।
- यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया।
- एक्शन टेकन रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, जिनके नाम पैरा 69 में दिये गये हैं। एटीआर यह बतलाती है कि सीबीआई ने श्री अशोक चव्हाण सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं। अतः किसी अन्य एफआईआर की आवश्यकता नहीं है।
- आयोग की रिपोर्ट, अप्रैल 2013 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध मुकद्दमे की मंजूरी को रोकने के लिए जो विभिन्न और अनुकूल अवलोकन थे केवल उन्हीं अंशों को राजभवन ने स्वीकार किया।

- राज्य सरकार/राजभवन/राज्यपाल ने जानबूझकर पाटिल आयोग के उन अंशों/निंदा/सिफारिशों की अनदेखी की, जिनमें श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की बात थी।
- यहां तक कि आदर्श घोटाले पर संसद की पीएसी ने मौन सहमति, भ्रष्टाचार माना था और श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी।
- राज्यपाल के द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण सीबीआई ने श्री अशोक चव्हाण को दोषी के रूप में नाम हटाने के लिए स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल उचित परिप्रेक्ष्य में संज्ञान लेने के असफल रहे। यद्यपि राज्यपाल लोकहित में श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध अनुमति देने को बाध्य थे, परन्तु उन्होंने श्री अशोक चव्हाण को स्वतंत्र छोड़ दिया।

  इन परिस्थितियों में हम महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग करते हैं।

धन्यवाद

आपके विश्वासपात्र

(अरूण जेटली) **(गोपीनाथ मुंडे)** **(अनंत गीते)**

(देवेंद्र फडनवीस) **(राजू शेट्टी)** **(रामदास अठावले)**

(विनोद तावड़े) **(संजय राउत)** **(महादेव जानकर)**

(आशीष शेल्लार) **(किरीट सोमैया)**